



1C	Refund on Account of Supplies unit/ SEZ Developer (with payment of tax) (Code -AF-06)																		
1D	Refund of ITC on exports of Goods & Service without payment of IGST (Code -AF-03)																		
1E	Refund on account of ITC accumulated due to Inverted Tax Structure (Code -AF-05)																		
1F	On Account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer (with out payment of Tax) (Code -AF-07)																		
1G	Recipient of Deemed Exports (Code -AF-08)																		

अतः समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्य कर को निर्देश दिया दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप में रिफण्ड की सूचना दैनिक रूप से (Excel

Sheet में )अपने जोन में नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से ई-मेल आई0डी0  
vidisha.1261989@gov.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,



(अशफाक अहमद)


25.04.18

एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2, वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :

1. रिफण्ड हेतु नामित नोडल अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सुश्री विदिषा कस्तूरी असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर/स्टेट नोडल ऑफिसर फार रिफण्ड स्टेटस को अनुपालनार्थ।



(पुरुषोत्तम)

ज्वाइंट कमिश्नर (जी0एस0टी0)  
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।